न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–367 / 2026</u>
उत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या :–79 / 2026

1. अमन कुमार राव उम्र लगभग 23 वर्ष, पिता–नितेश्वर राव
साकिन–जयप्रकाश नगर बेतियाह, वार्ड नं0–15, जिला–पश्चिम चम्पारण
–आवेदक / अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार — विपक्षी

<u>अग्रिम जमानत आदेश</u>

<u>19–06–2026</u>

अभियुक्त अमन कुमार राव का अग्रिम जमानत आवेदन जो सिंहेश्वर थाना कांड संख्या–79 / 26 अन्तर्गत धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 से संबंधित है तथा विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्हें इस केस में झूठा फंसा दिया गया है। कथित घटना 27.09.25 की बताई जाती है परंतु प्राथमिकी 21.02.26 को 5 महीने विलम्ब से दर्ज कराया गया। आवेदक ने प्रवेश परीक्षा ऊत्तीर्ण किया है। आवेदक को संदेह के आधार पर परिवार के विरोधी के शिकायत पर फंसाया गया है। आवेदक दृष्टि बाधित व्यक्ति है। आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। आवेदक वाद विचारण में पूर्ण सहयोग करेगें तथा न्यायालय के सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। आवेदक के फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नही है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि दिनाक 27.09.25 को सूचक डॉ0 जय प्रकाश भारती, सहायक नामांकन प्रभारी सह–स्टूडेंट सेक्सन इंचार्ज के समक्ष आवेदक (अभ्यार्थी) अमन कुमार राव MBBS सत्र 2025–26 मे नामांकन हेतु जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय मधेपुरा सेकंड राउंड में काउंसेलिंग के दौरान IGMS पटना से निर्गत Disablity Certificate no.-827 dated 18.09.25 प्रस्तुत किए जिसका सत्यापन हेतु BCECE के ऑफिसियल वॉट्एप ग्रूप पर भेजा गया जिसके आलोक में IGMS पटना द्वारा सूचित किया गया कि उक्त प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए तीनों चिकित्सकों का हस्ताक्षर फर्जी है

–लगातार

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–367/2026
उत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या :–79/2026

लगातार
19–06–26

– जिस कारण आवेदक (अभ्यार्थी) अमन कुमार राव रोल नं0–1514105032 UGMAC ID-2511202010575 का आवंटित सीट कैंसिल किया गया। तदोपरांत पटना के पत्रांक 260/Adm दिनांक 19.01.26 द्वारा उक्त आवेदक के दिव्यांग प्रमाण पत्र जाली होने की सूचना BCECE Board पटना को दी गई, जिसके आलोक में विशेष कार्य पदा0 BCECE Board पटना के पत्रांक 182/26 दिनांक 12.02.26 द्वारा आवेदक के विरूद्व वैधिक कार्रवाई एवं जाल फरेब, कूट रचकर गंभीर अपराध कारित करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दर्ज की गई है। आवेदक के विरूद्व Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board द्वारा MBBS शैक्षणिक सत्र 2025–26 में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र दाखिल कर दिव्यांग कोटे हेतु आरक्षित सीट पर नामांकन हेतु अपना काउंसेलिंग कराने का अभियोग है जिसके कारण दिव्यांग कोटा में एक मेधावी छात्र नामांकन से वंचित रह गया।

कांड दैनिकी के पारा–04 में सूचक का पुनः बयान है तथा पारा–05 एवं 06 में साक्षियों का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया गया है। पारा–22 में पर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित है जिसमें आवेदक के विरूद्व मामला सत्य पाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभियोग की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Satish Kumar
19.06.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।